

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2017/वैशाख 18, 1939

No. 350]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2017/ VAISAKHA 18, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017.

**सा.का.नि. 442 (अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त(नागर विमानन) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)/क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, संयुक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)/क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय)	24* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i 1/24 (एक पद) संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)+प्रोन्नति] द्वारा; और ii 23/24 (23 पद) प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा।				

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
11
<b>संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)+प्रोन्नति]:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस बल भी है या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी--
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-11 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और  
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ; और

(ii) भारत सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के पुलिस या सुरक्षा अथवा आसूचना विभाग में दस वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1—** ऐसे विभागीय उप निदेशक पर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री धारण करते हो, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

**टिप्पण 2—** प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3—** प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
लागू नहीं होता।	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एवी. 13024/11/2016-एएस]

उषा पाडी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2017

**G.S.R. 442(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security) Senior Deputy Commissioner of Security(Civil Aviation), Group 'A' Post, Recruitment Rules 2010, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules regulating method of recruitment of the post of Joint Director (Headquarters)/Regional Director (Regional Offices) in the Bureau of Civil Aviation Security, in the Ministry of Civil Aviation, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Joint Director / Regional Director, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**— No person,-  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Pay level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director(Headquarters) / Regional Director (Regional Offices)	24* (2017) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial	Level -12	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 1/24(One post) by way of composite method [deputation (ISTC) plus promotion]; and (ii) 23/24 (23 posts) by way of deputation (ISTC)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<b>Composite Method [Deputation (ISTC) Plus Promotion]:</b> Officers under the Central or State Governments or Union territories including Central Armed Police Force or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organization; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 or equivalent in the parent cadre / department; and	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

<p>(b) possessing the following educational qualification and experience:-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University; and</p> <p>(ii) ten years experience in police or security or intelligence department of Government of India or State or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Deputy Director in level-11 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and possessing degree from a recognized University will also be considered alongwith outsiders and in case, he/she is selected, the post shall deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> -Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> -The maximum age limit for appointment 'by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on closer date of receipt of applications to the post'.</p>		
---	--	--

[F. No. AV.13024/11/2016-AS]

USHA PADHEE, Jt. Secy.